



महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

Email ID : pravin.sathe@nic.in

क्रमांक-न्यायप्र.३५२२/प्र.क्र.१२७/का.१०

दिनांक : ३०.०६.२०२२

अति तात्काळ

प्रति,

मा. शासकीय अभियोक्ता,
मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद.

विषय:- रिट याचिका क्रमांक ९९०/२०२२

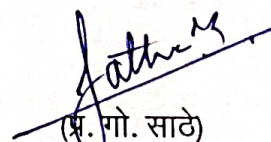
श्री.पंकज सुभाष भामरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर.

महोदय,

मा. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ७१/२०२१ व ५९/२०२१, श्री. पंकज सुभाष भामरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. न्यायालयाने दिनांक १३ जून, २०२२ रोजी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक एसटीसी-२११९/प्र. क्र. ३४/का.१०, दिनांक २९ जून, २०२२ व आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी.२११९/प्र.क्र.३४/का.१०, दिनांक २९ जून, २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर अधिसूचनेची व शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे.

२. तरी प्रस्तुत प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीबाबत मा. उच्च न्यायालयास अवगत करण्याबाबत आपणांस विनंती आहे.

आपला,


(प्र. गो. साठे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत सहपत्रांसह:-

१. श्री. एस.पी.तिवारी, सहायक शासकीय अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद.
२. सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार शितकेंद्राची इमारत, आर.टी.ओ. ऑफीसजवळ, साक्री रोड, नंदुरबार- ४२५ ४१२
३. सह आयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, प्लॉट नं.१०, सेक्टर ई-१, सेंट लॉरेन्स हायस्कूलजवळ, सिडको बस स्टॅण्ड समोर, औरंगाबाद-४३१ ००३.

NOTIFICATION

Tribal Development Department,
Hutatma Rajguru Chawk, Madam
Cama Marg, Mantralay,
Mumbai 400032

Dated : 29th June, 2022.

Maharashtra
Scheduled
Caste,
Scheduled
Tribes,
Denotified
Tribes
(Vimukta
Jatis),
Nomadic
Tribes, Other
Backward
Classes and
Special
Backward
Category
(Regulation
of Issuance
and
Verification
of) Caste
Certificate Act,
2000
(Mah. XXIII
of 2001)

No.STC.2119/C.R. 34/Desk 10.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified Tribes (*Vimukta Jatis*), Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of Issuance and Verification of) Caste Certificate Act, 2000 (Mah. XXIII of 2001) and in supersession of Notifications, Tribal Development Department, No. STC.2119/C.R.34/Desk 10 dated the 19th March, 2021 and the orders and instruments issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby reconstitute the following Scrutiny Committees and specify the functions and the area of their jurisdiction for the purposes of the said Act as follows, namely :-

(1) The "Scrutiny Committee" for verification of Scheduled Tribe Certificate issued by the Competent Authority in respect of Scheduled Tribes, shall consist of the following members, namely :-

(I) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Thane.-

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(2) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nashik.-

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(3) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Pune.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(4) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Aurangabad.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(5) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Amravati.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(6) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nagpur.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(7) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nandurbar.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(8) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Gadchiroli.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(9) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Palghar.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(10) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Kinwat, District Nanded.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(11) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Yavatmal.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(12) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Chandrapur.-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal
Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(13) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Gondia.-

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(14) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Dhule.-

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(15) The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nashik-2.-

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | The Commissioner for Tribal Research and Training Institute, Pune | Chairman; |
| (2) | Joint Commissioner | Vice-Chairman; |
| (3) | Deputy Director (Research) | Member Secretary; |
| (4) | Senior Research Officer | Member; |
| (5) | Research Officer | Member. |

(II) The area of jurisdiction of each Schedule Tribes Certificate Scrutiny Committee shall be as following, namely:-

Sr. No.	Name of the Scrutiny Committee	Area
(1)	(2)	(3)
(1)	The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Thane	Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg
(2)	The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nashik	Nashik, Baglan, Surgana, Kalwan, Peth, Dindori, Trimbakeshwar and Igatpuri Talukas of Nashik District

- 99
- | | | |
|------|--|--|
| (3) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Pune | Pune, Sangli, Satara, Solapur, Kolhapur |
| (4) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Aurangabad | Aurangabad, Jalna, Parbhani, Beed, Osmanabad |
| (5) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Amravati | Amravati, Akola, Buldhana. |
| (6) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nagpur | Nagpur, Wardha |
| (7) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nandurbar | Nandurbar |
| (8) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Gadchiroli | Gadchiroli |
| (9) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Palghar | Palghar |
| (10) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Kinwat, District Nanded | Nanded, Hingoli, Latur |
| (11) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Yavatmal | Yavatmal, Washim |
| (12) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Chandrapur | Chandrapur |
| (13) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Gondia | Gondia, Bhandara |
| (14) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Dhule | Dhule, Jalgaon |
| (15) | The Scrutiny Committee for Scheduled Tribes, Nashik-2 | Malegaon, Deola, Chandwad, Nandgaon, Niphad, Yeola and Sinnar Talukas of Nashik District and All Talukas of Ahmednagar District. |

(III) Scrutiny Committee will function as per the provisions of Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes, De-notified Tribes (*Vimukta Jatis*), Nomadic Tribes, Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of Issuance and Verification of) Caste Certificate Act, 2000 (Mah. XXIII of 2001) and Maharashtra Scheduled Tribe (Regulation of Issuance and Verification of) Certificate Rules 2003.

By order and in the name of the Governor
of Maharashtra,



(M. R. Shelke)

Deputy Secretary to Government.

अधिसूचना

आदिवासी विकास विभाग,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२,
दिनांक:-२९ जून, २०२२

महाराष्ट्र
अनुसूचित जाती,
अनुसूचित
जमाती, विमुक्त
जाती, भटक्या
जमाती, इतर
मागासवर्ग व
विशेष मागास
प्रवर्ग जातीचे
प्रमाणपत्र
(देण्याचे व
त्याच्या
पडताळणीचे
विनियमन)
अधिनियम,
२००० (२००९ चा
महा. क्र. २३)

क्रमांक. एसटीसी-२११९/प्र.क्र. ३४/का. १० - महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास
प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००
(२००९ चा महा. क्र. २३) याच्या कलम ६ च्या पोट कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि अधिसूचना क्रमांक एसटीसी-२११९/प्र. क्र.
३४/का.१०, दिनांक १९ मार्च, २०२१ आणि यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या
आदेशांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालीलप्रमाणे तपासणी समित्यांची
पुनर्रचना करित आहे तसेच उक्त अधिनियमाच्या हेतूसाठी त्यांची कर्तव्ये आणि त्यांचे
अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करित आहे:-

- (१) अनुसूचित जमातीच्या संदर्भात सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेल्या अनुसूचित
जमातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यासाठी "तपासणी समिती"
पुढीलप्रमाणे असेल:-

(१) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, ठाणे.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(२) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक.-

- | | |
|---|--------------|
| (१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(३) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(६) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(७) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(८) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गडचिरोली.-

(१)	आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे	अध्यक्ष ;
(२)	सह आयुक्त	उपाध्यक्ष ;
(३)	उप संचालक (संशोधन)	सदस्य सचिव ;
(४)	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी	सदस्य ;
(५)	संशोधन अधिकारी	सदस्य ;

(९) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पालघर.-

(१)	आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे	अध्यक्ष ;
(२)	सह आयुक्त	उपाध्यक्ष ;
(३)	उप संचालक (संशोधन)	सदस्य सचिव ;
(४)	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी	सदस्य ;
(५)	संशोधन अधिकारी	सदस्य ;

(१०) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट जिल्हा नांदेड.-

(१)	आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे	अध्यक्ष ;
(२)	सह आयुक्त	उपाध्यक्ष ;
(३)	उप संचालक (संशोधन)	सदस्य सचिव ;
(४)	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी	सदस्य ;
(५)	संशोधन अधिकारी	सदस्य ;

(११) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, यवतमाळ.-

(१)	आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे	अध्यक्ष ;
(२)	सह आयुक्त	उपाध्यक्ष ;
(३)	उप संचालक (संशोधन)	सदस्य सचिव ;
(४)	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी	सदस्य ;
(५)	संशोधन अधिकारी	सदस्य ;

(१२) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, चंद्रपूर.-

(१)	आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे	अध्यक्ष ;
(२)	सह आयुक्त	उपाध्यक्ष ;
(३)	उप संचालक (संशोधन)	सदस्य सचिव ;
(४)	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी	सदस्य ;
(५)	संशोधन अधिकारी	सदस्य ;

(१३) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदीया.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(१५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२.-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (१) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | अध्यक्ष ; |
| (२) | सह आयुक्त | उपाध्यक्ष ; |
| (३) | उप संचालक (संशोधन) | सदस्य सचिव ; |
| (४) | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |
| (५) | संशोधन अधिकारी | सदस्य ; |

(II) प्रत्येक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे अधिकारीतेचे क्षेत्र खालीलप्रमाणे असेल:-

क्र.	तपासणी समितीचे नाव	क्षेत्र
(१)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, ठाणे	मंबुई शहर, मंबुई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
(२)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक	नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, बागलान, कळवण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, त्रंबकेश्वर व इगतपूरी हे तालुके
(३)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे	पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर.

(४)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद.
(५)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती	अमरावती, अकोला, बुलढाणा.
(६)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर	नागपूर, वर्धा
(७)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदुरबार	नंदुरबार
(८)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गडचिरोली	गडचिरोली
(९)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पालघर	पालघर
(१०)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट, जिल्हा नांदेड	नांदेड, हिंगोली, लातूर
(११)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, यवतमाळ	यवतमाळ, वाशिम
(१२)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, चंद्रपूर	चंद्रपूर
(१३)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, गोंदीया	गोंदीया, भंडारा
(१४)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे	धुळे, जळगाव
(१५)	अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक-२	नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, देवळा, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला व सिन्नर हे तालुके व अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व तालुके

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. क्र. २३) व महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २००३ मधील तरतूदीनुसार तपासणी समित्या कार्य करतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने



(म. रं. शोळके)

शासनाचे उपसचिव.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी
समित्यांची स्थापना करणेबाबत....

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-२११९/प्र.क्र.३४/का.१०

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक - २९ जून, २०२२.

याचा :- १. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी -२११९/

प्र. क्र.३४/का. १०, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९.

२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी.२११९/प्र.क्र.३४,

दिनांक २१ मे, २०२१

प्रस्तावना :-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या ८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांव्यतिरिक्त पालघर, नाशिक २, धुळे, किनवट जि. नांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार संदर्भाधीन दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तरीच संदर्भाधीन दिनांक २० मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या सात समित्यांपैकी धुळे, चंद्रपूर व गोंदिया या समित्यांच्या नावामध्ये बदल करून ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली-२ व नागपूर-२ अशी करण्यास तरीच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर या ठिकाणी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

याबाबत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ७१/२०२१ व ५९/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक १३ जून, २०२२ रोजी पारित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दिनांक २० मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जन हित याचिका क्र. ५९/२०२१ व ७१/२०२१ मध्ये दिनांक १३/०६/२०२२ रोजी पारित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने नव्याने गठीत केलेल्या सात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांपैकी धुळे, चंद्रपूर व गोंदिया येथे स्थापन करावयाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या नावामध्ये बदल करून ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली -२ व नागपूर- २ अशी करण्यास तरीच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर या ठिकाणी ठेवण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दिनांक २० मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. नव्याने गठीत केलेल्या सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या त्यांच्या मूळ मंजूर ठिकाणी म्हणजे पालघर, नाशिक २, धुळे, किनवट जि. नांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे कार्यरत राहतील.

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२९१८३८२५८५२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

VIJESING
FATTESING VASAVE

(विजेसिंग वसावे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत :

- १) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई
- २) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- ३) मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- ४) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ५) मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई
- ६) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ७) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
- ८) सर्व मा. विधीमंडळ सदस्य
- ९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई
- १०) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ११) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १२) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १३) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १६) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १९) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
- २०) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक
- २१) सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास
- २२) सर्व सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती
- २३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य
- २४) सर्व विभागीय आयुक्त,
- २५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
- २६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई
- २७) प्रबंधक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
- २८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,

- २९) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर
 ३०) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई
 ३१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद
 ३२) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, नागपूर खंडपीठ, नागपूर
 ३३) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली
 ३४) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.
 ३५) महालेखापाल, (लेखा व अनुशोयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई/नागपूर
 ३६) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/नागपूर
 ३७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
 ३८) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, पाचवा मजला, मुंबई
 ३९) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
 ४०) सर्व जिल्हाधिकारी,
 ४१) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 ४२) सह/उप सचिव/अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
 ४३) सर्व कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२.
 ४४) निवड नस्ती/का.१०.